–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 33 / 2023

उनवान

1. कल्लू खां पुत्र शेर खां
2. प्रधान पुत्र रामदेव समस्त जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद

––– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. पप्पू पुत्र अहमद
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र काना
3. सांवरलाल पुत्र रंगलाल समस्त जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
4. सहायक अभियंता, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, नसीराबाद
5. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

––– अप्रार्थीगण :– 1, 2 व 11 जरियें अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा
14 व 15 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 24.9.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अजवा का बाडिया प.म. बनेवडा में स्थित निम्न आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख.न.	रकबा	वर्किंग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
317	1–18–0	276	1–18–0	589	0.37
320	2–14–0	275	2–14–0	601	0.04
				602	0.18
				603	0.24
327	0–7–10	191	0–7–10	595	0.24
				598	0.19
328	0–4–10	190	0–4–10	596	0.60
329	0–4–10	189	0–4–10		
330	1–19–10	189	1–19–10		
332	3–3–0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.51
334	0–10–0	199	[illegible]	[illegible]	0.08
339	7–10–0	134	[illegible]	[illegible]	0.56
		131		485	0.56
342	4–13–0	107	4–13–0	437	0.75

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजी के मूल खातेदार मुख्तार की मृत्यु हो [illegible] है। जिसके 3 वारिस अ[illegible] वजीर व शेर खां हुये। अन्नू के वारिस मोहम्मद की अविवाहित मृत्यु हो गयी है। शेर खां

—— 2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

के 4 लडके छोटू खां 1/4 हि., कल्लू खां 1/4 हि., व दुला की मृत्यु हो गयी है के वारिस प्रार्थी संख्या 2 से 4 का 1/4 हिस्सा व अहमद की मृत्यु हो गयी है के वारिस अप्रार्थी संख्या 1 से 11 का 1/4 हिस्सा निहित है किन्तु वजीर पुत्र मुख्तार की खातेदारी आराजी में मात्र अहमद पुत्र शेर खा व उसके वारिस अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के नाम खसरा नम्बर 589, 596, 597 गलत अंकित कर दी। जिस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण कने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 11 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने वजीर खां पुत्र मुख्तार की मृत्यु व वारिस के सबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया है। आराजी मुतनाजा साबिक राजस्व अभिलेख में अहमद पुत्र वजीर के नाम थी, जो नामान्तकरण संख्या 55 दिनांक 08.06.1992 से अप्रार्थीगण जवाबकर्ता के नाम दर्ज हुयी। प्रार्थीगण का आराजी मुतनाजा पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है।अतः आवेदन पत्र सव्यय खरिज किया जावे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला :-</u>

प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र में ग्राम अजबा का बाडिया प.म. बनेवडा में स्थित आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रटिपूर्ण बताया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 11 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने वजीर खां पुत्र मुख्तार की मृत्यु व वारिस के सबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया है। आराजी मुतनाजा साबिक राजस्व अभिलेख में अहमद पुत्र वजीर के नाम थी, जो नामान्तकरण संख्या 55 दिनांक 08.06.1992 से अप्रार्थीगण जवाबकर्ता के नाम दर्ज हुयी। प्रार्थीगण का आराजी मुतनाजा पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 589, 596, 597 अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा वंर्किग जमाबंदी व चौसाला जमाबंदी के इन्द्राज को इतने वर्ष बाद चुनौती दी है। प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व खातेदार व उनके वारिस के मृत्यु व वारिसा सबंधित दस्तावेज पेश नही किये है। साबिक राजस्व अभिलेख के आधार पर वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही किया जायेगा। रिकार्डेड खातेदार को विषम परिस्थितियों के बिना पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :- विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण वाद के निस्तारण तक रिकार्डेड खातेदार को बिना ठोस कारण के पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है।वंर्किग जमाबंदी व चौसाला जमाबंदी के इन्द्राज को इतने वर्ष बाद बिना किसी समुचित कारण बताये बिना चुनौती दी है। मौके पर वाद बहुत्व की स्थिति भी प्रतीत नही होती है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नही होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested

3. <u>सुविधा का संतुलन</u> :- न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक

--3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम अजबा का बाडिया प.म. बनेवडा के हाल खसरा नम्बर 589 रकबा 0.37, 596 रकबा 0.60 व 597 रकबा 0.51 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested